

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरिया ४०८०

सभा का प्रारूप
साईज़ कलर से
प्रिंटिंग कोटी बह
लगाये

- आवेदित पद का नाम
1. आवेदक का नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. माता का नाम
 4. जन्म तिथि (अंको में)
 5. आयु (01.01.2018 की स्थिति में)
 6. जाति (सामान्य/अनु.जाति/जन.जाति/अ.पि.वर्ग)
 7. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (यदि हो तो)
 -
 8. स्थायी निवास का पता
 9. मोबाइल नं./दूरभाष नं.
ईमेल
 10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता
 -
 11. लिंग (महिला/पुरुष)
 12. छत्तीसगढ़ की मूल निवासी (हॉ/नहीं)
 13. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

(प्रमाण पत्र एवं अंक सूची संलग्न करें।)

14. कार्यानुभव :-

क्र.	पद का नाम	कार्यालय का नाम	कुल कार्य अवधि	कार्य विवरण	रिमार्क

(कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

16. यदि हॉ तो अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निणर्य की जानकारी का उल्लेख करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं किसी भी समय मेरी नियुक्ति विना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....
स्थान

नाम

आवश्यक शर्तें एवं चयन प्रक्रिया : -

1. सेवा अधिकारी के दौरान प्रतिमाहेक मुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3. नियुक्ति हेतु पदों में कोरिया जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
4. नियुक्ति हेतु आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना चाहिए एवं प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदार होगा। मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्य के निवासी को अवसर दिया जायेगा।
5. नियुक्ति हेतु आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना चाहिए एवं प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदार होगा। मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्य के निवासी को अवसर दिया जायेगा।
6. शैक्षणिक योग्यता, कौशल परीक्षा एवं अनुभव के अनुसार आवेदकों का चयन किया जावेगा। न्युन्तम शैक्षणिक योग्यता के 70 प्रतिशत अंक एवं अनुभव के अंक के आधार पर प्रत्येक पद के लिए संवर्गवार वरिष्ठता सूची जारी की जावेगी एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा।
7. अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों (यथा SHRC) या उपक्रमों का ही मान्य होगा।
8. उपलब्धता अनुसार आवास सुविधा प्रदान की जायेगी।
9. भर्ती के सम्बन्ध में समस्त जानकारी कोरिया जिले के NIC की वेब साईट WWW.Korea.gov.in एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के सूचना पटल पर भी चश्पा की जावेगी।
10. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई य घटाई जा सकती है। या निरस्त की जा सकती है। चयन का पूरा अधिकार चयन समिति का होगा।
11. संविदा अधिकारी केवल एक 01 वर्ष लिए होगी कार्यमुल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अधिकारी की वृद्धि की जा सकती है। भर्ती राज्य से किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त माना जायेगा या दूसरे स्थान पर कार्य हेतु निर्देशित किया जायेगा।
12. प्रतीक्षा सूची की वैधता 01 वर्ष रहेगी। इस समयावधि में रवीकृत नए पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
13. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें।
(1. आवेदन पत्र 2. निवास प्रमाण पत्र 3. जाति प्रमाण पत्र 4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 5. अनुभव प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र)
14. एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उमीदवारों प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
15. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वंस के द्वारा स्वप्रमाणित कर चश्पा करें। एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
16. शासकीय एवं अद्वशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।
17. आवेदक की आयु दिनोंक 01.01.2018 की स्थिति में न्युन्तम 18 वर्ष तथा अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए।
18. भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला शासन द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदकों को मान्य होगा।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति का होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य करने के लिए बधनकारी होगा।
20. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की